Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board

Choudhary Campus, Near Durga Petrol Pump, Dahod Road,
Thikariya, Banswara
Email:-rorpcbbanswara2021@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक परामर्श के लिए आम सूचना

विषय: - मेसर्स न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (एमबीआरएपीपी) (4x700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर) बांसवाड़ा, (राजस्थान) के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक परामर्श ।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बांसवाड़ा राजस्थान साईट ग्राम, तालुक जिला बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 4 गुणा 700 मेगावाट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत प्रस्ताव भारत सरकार के केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रक्रिया एवं उत्पाद सम्बन्धित विस्तृत जानकारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA Report) इस कार्यालय में उपलब्ध है।
2. और चूंकि मैसर्स मैसर्स न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, ने उक्त परियोजना के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई पूर्व में दिनांक 24/05/2018 को की जा चुकी है । पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक परामर्श हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र दिनांक 03/06/2022 तथा राज्य मण्डल मुख्यालय के पत्र दिनांक 31/05/2024 के अनुसार लोक परामर्श हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालकसार (कार्यकारी सारांश) निम्न कार्यालयों पर उपलब्ध है :-

   1) जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाड़ा।
   2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बांसवाड़ा।
   3) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बांसवाड़ा।
   4) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा/ छोटी सरवन ।
   5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चौधरी परिसर, दाहोद रोड़, ठिकरिया, बांसवाड़ा ।

अतः समस्त सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्धित लोक परामर्श हेतु किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा लिखित में सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चौधरी परिसर, दाहोद रोड़, ठिकरिया, बांसवाड़ा के क्षेत्रीय कार्यालय में दिये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बांसवाड़ा